पत्र संख्या–2/स्था0 (पेन0 विविध) (2) 03/ 2025 ..../

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

अजय प्रकाश,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन/मत्स्य/गव्य, बिहार, पटना।
सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।
सभी उप मत्स्य निदेशक, बिहार।
उप मत्स्य निदेशक (मु0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।
संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु0), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।
सभी क्षेत्रीय निदेशक (गव्य), बिहार।
संयुक्त निदेशक (गव्य), गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना।

पटना– 15, दिनांक–....................../2025

विषय :– **बिहार पशु चिकित्सा सेवा/बिहार मत्स्य सेवा/बिहार गव्य विकास सेवा के पदाधिकारियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ई–पार) स्पैरो के माध्यम के तहत नहीं भरे जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये बिहार पशु चिकित्सा सेवा/बिहार मत्स्य सेवा/बिहार गव्य विकास सेवा के पदाधिकारियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (ई–पार) स्पैरो के माध्यम से आलेखन हेतु स्व–मूल्यांकन की कार्रवाई हेतु दिनांक 31 मई, 2025 तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8160, दिनांक 22.05.2024 द्वारा निर्धारित की गयी है। इस क्रम में पाया गया है कि बिहार पशु चिकित्सा सेवा /बिहार मत्स्य सेवा/बिहार गव्य विकास सेवा के क्रमशः 433, 247 एवं 13 पदाधिकारियों का स्व–मूल्यांकन की कार्रवाई लंबित है, जो अत्यन्त खेदजनक है एवं अनुशासनात्मक कृत्य के योग्य है।

अतएव अंतिम रूप से निदेश दिया जाता है कि विभागीय पत्रांक 2840, दिनांक 25.06.2025 के आलोक में दि0 30.06.2025 तक स्व–मूल्यांकन की कार्रवाई अपने–अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों से पूर्ण करायी जाय। स्व–मूल्यांकन अपलोड नहीं करने की स्थिति में कार्य मूल्यांकन अपूर्ण रहने की समस्त जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नकः– लंबित स्व–अभिलेखन PAR की सूचीः–

बिहार पशु चिकित्सा सेवा–433
बिहार मत्स्य सेवा–247
बिहार गव्य विकास सेवा –13

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–2/स्था0 (पेन0 विविध) (2) 03/ 2025 2879/ पटना–15, दिनांक– 27/06/25

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/विभागीय पी०एम०यू० लीड/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/06/25

सरकार के अवर सचिव।

12